

फार्म अहकाम

(नियम 26)

आंतरदेश

ज अदालत तहसीलदार मुकाम महवा
 खेत नंबर अरोसी पुत्र सुरव्राम मीना
 किस्म मुकदमा द्वारा 91.2 R Act नं 284/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
30/01/18	पहचारी हल्ला की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को रजस्थान भू-रजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 14/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)	
14/2/18	पत्रावली पेश हुई। आवक लगवाइस अतिक्रमी उपस्थित नथा है। अतिक्रमी द्वारा सार्वजनिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतः ग्राम आंतरदेश की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से लेखल किया जाता है। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)	अरोसी

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 284/18 तारीख रज 30/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का पाटोली बनाम
 श्री अरोशी पुत्र सुकराम जाति मीना निवासी आरंदेश तहसील
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री अरोशी ने ग्राम आरंदेश को भूमि ख.न. 165 रकबा 0.10 किस्म चारागाह फसल रेबि / खरीफ संवत 2074 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 165 रकबा 0.10 किस्म चारागाह वाके ग्राम आरंदेश से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 2400/- 50 गुणा 1200/- शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर नं/व को संख्या 71
 वर्ष 2017-18
 की सशुद्ध प्रतिलिपि
 की जमा कायमी
 दिनांक : 6/3/18
 तहसीलदार महवा